न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिका[री]
अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट नम्बर 01 भगवानी देवी एवं रेस्पो० नम्बर 01 रामकिशोर का देहान्त हो चुका है। इनके विधिक वारिसान पहले से ही पक्षकार दर्ज है। अतः इनके नाम के साथ मृतक शब्द दर्ज किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रा० पत्र पर गौर किया। अपीलांट नम्बर 01 एवं रेस्पो० नम्बर 01 के नाम के साथ अपील शीर्षक मे "मृतक" शब्द अंकित किया जावे।
14/10/21	अभिभाषकगण ने बार एसोसियेशन के निर्णय के बाद कार्य स्थगित किया हुआ है। अतः पत्रावली पूर्व तारतम्बार वास्ते तलबी — दिनांक 28.10.21 को पेश होवे।
28/10/21 राजकरण [illegible] 28/10/2021	:- पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलार्थी उप०। अपी. अभि. द्वारा निवेदन किया कि अपील से सम्बन्धित मूल दावे का निस्तारण हो चुका है अतः अब यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। अतः अपील इसी स्तर पर दाखिल दफ्तर की जावे। सहमति हेतु स्वयं अपी. संख्या - 4 राजकरण द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये, जिनकी पहचान भी संबंधित अभि. द्वारा की गई। चूंकि अब तहत अदालत द्वारा मूल दावे का निस्तारण किया जा चुका है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र 212 RT ACT के विरुद्ध प्रस्तुत यह अपील अब प्रभावहीन हो गई है अतः प्रभावहीन होने के कारण अपील अपीलांटस इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली मिसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर की जावे। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर